न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 189/2016

उनवान

1. सन्तुराम पुत्र बिरदूराम जाति ब्राह्मण निवासी धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. छीतर
2. श्रवण
3. सुगनचन्द
4. गोपाल

पिसरान भूरा कौम ब्राह्मण निवासी धवली तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 3/5/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 2297 रकबा 0.8 है0, वाकै ाम धवली तह0 शाहपुरा जिला जयपुर मे स्थित है, जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। क्त आराजी मुतनाजा वादी की खरीद शुदा भूमि है जिस पर वादी खरीद के समय से ाबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के खसरा नंबर 2297 के साथ लगता ुआ प्रतिवादी की भूमि है। इस भूमि मे प्रतिवादी ने पक्के मकान बना रखे है तथा तिवादीगण अपनी भूमि मे बने हुये मकान में निवास करते चले आ रहे है। यह कि करीब क वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण ने अपने स्वयं की भूमि मे बने हुये मकान के पूर्व दिशा में वादी की भूमि खसरा नंबर 2297 पर जबरदस्ती दो कमरो का निर्माण करवा लिया वादी द्वारा प्रतिवादीगण को मना करने पर उन्होंने कहा कि यह भूमि तो हमारे खेत की भूमि है। इस पर वादी ने उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से आराजी खसरा नंबर 2297, 2298, 2301, 2302 एवं 2296 की अपनी भूमि की पत्थरगढी का आदेश प्राप्त कर लिया जिसके अनुपालना में तहसीलदार महोदय शाहपुरा ने आराजी खसरा नंबर 2297 के साथ वादी की उपर वर्णित भूमियो का मौके पर जाकर पत्थरगढ़ी की गयी। पत्थरगढी से स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ कि

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वादीगण ने एक वर्ष पूर्व दो कमरे पुक्तों का निर्माण किया था। वह भूमि वादी के स्वामित्व खसरा नंबर 2297 की है। पत्थरगढ़ी किये जाने पश्चात प्रतिवादीगण ने अर्सा 3 दिन पूर्व ी की खसरा नंबर 2297 की भूमि में पक्का बण्डे का निर्माण चालू कर दिया तथा वादी को ानिया धमकी दी कि वे जल्दी ही वादी की खसरा नंबर 2297 की भूमि में चारो तरफ पक्के डे का निर्माण पूर्ण कर लेंगे। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार स्वत्व प्राप्त नहीं है कि वे ी के स्वामित्व हक हकूक की भूमि आराजी खसरा नंबर 2297 पर काबिज होकर पक्का र्माण करे। प्रतिवादीगण द्वारा जबरदस्ती खसरा नंबर 2297 पर जो पक्के कमरे एवं बण्डे का र्माण चालू कर रखा है वह अवैधानिक एवं अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है। अर्सा 3 दिन प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा नंबर 2297 पर बण्डे का निर्माण चालू करने एवं एक पूर्व पक्के कमरों का निर्माण किये जाने पर वादी को बिनाय वाद कारण उत्पन्न होकर द पत्र पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 2297 वाकै ग्राम धनली तहसील हपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कच्चे पक्के निर्माण को उनके र्च के खर्चे से हटवाये जाने के एवं उक्त भूमि का कब्जा वादी को सम्भलाये जाने के आदेश रमाये एवं तदानुसार डिक्री जारी की जावे। दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के पयोग व उपभोग से प्राप्त होने वाले प्रतिमाह 5000 रूपये अन्तकालीन लाभ भी वादी को तिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 से दिलवाया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी षेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की जाहमत पैदा ना करे एवं वाद खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना व तामिल के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध दिनांक 14.05.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में साक्ष्यवादी में शपथ–पत्र वादी व गवाह बद्री का पेश हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। वकील उभयपक्ष ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस की। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किया गया। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज पेश किये जिन पर प्रदर्श कायम किये गये। प्रदर्श संख्या–1 (जमाबंदी संवत 2067–2070), प्रदर्श संख्या – 2 (फर्द मौका रिपोर्ट, पत्थरगढी), प्रदर्श–3 (नक्शा ट्रेस) पेश किये, जो संलग्न पत्रावली है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रकरण में वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में अपने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों व र्श संख्या 1 लगायत 3 का अवलोकन करवाते हुए अपने वाद–पत्र की ताईद की।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रदर्श संख्या 1 लगायत 3 का अवलोकन किया गया। अवलोकन परांत जाहिर होता है कि खाता संख्या 295 के आराजी खसरा नंबर 2297 रकबा 0.0800 है0 कै ग्राम धवली, पटवार हल्का धवली, भू0अभि0नि0क्षेत्र अमरसर तहसील शाहपुरा जिला यपुर की भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी उक्त खसरा नंबर में अंकित भूमि ा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी को उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग करने का र्ण हक अधिकार प्राप्त है। वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल राने एवं कब्जा भूमि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। साथ ही वादीगण को अपनी ातेदारी भूमि के संम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी पूर्ण धिकार प्राप्त है। प्रकरण में प्रतिवादीगण जानबूझकर पैरवी हेतु उपस्थित नही हुए है। इससे ह जाहिर होता है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में उनके पक्ष में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तिवादीगण को वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं ।। वाद–पत्र में अंकित तथ्य की वादी की भूमि खसरा नंबर 2297 पर जबरदस्ती दो कमरो का निर्माण प्रतिवादीगण द्वारा करवाया गया है जो की वादी के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों का हनन है। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह व शपथ–पत्र एवं प्रदर्श संख्या 1 लगायत 3 पेश कर अपने वाद–पत्र की ताईद की है। उपर्युक्त तथ्यों के विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख. नं0 2297 रकबा 0.0800 है0 वाकै ग्राम धवली, पटवार हल्का धवली, भू0अभि0नि0क्षेत्र अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर जो वादीगण की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि है, से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है, साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें। बल्कि वादीगण को उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रहकर उसका उपयोग–उपभोग करने देवें। आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल कर वादीगण को कब्जा भूमि सम्भालाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा (भूमिधारी) को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 3/5/24 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 189 / 2016

उनवान

1. सन्तुराम पुत्र बिरदूराम जाति ब्राह्मण निवासी धवली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
– वादी

बनाम

1. छीतर
2. श्रवण
3. सुगनचन्द
4. गोपाल
पिसरान भूरा कौम ब्राह्मण निवासी धवली तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक :– 3/5/2024

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख. नं0 2287 रकबा 0. 300 है0 वाकै ग्राम धवली, पटवार हल्का धवली, भू0अभि0नि0क्षेत्र अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ो वादीगण की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि है, से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल किये जाने के ादेश दिये जाते है, साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबंद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें। बल्कि ादीगण को उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रहकर उसका उपयोग–उपभोग करने देवें। आराजी ुतनाजा से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल कर वादीगण को कब्जा भूमि सम्भालाने हेतु ाहसीलदार शाहपुरा (भूमिधारी) को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

उक्त डिक्री आज दिनांक 3/5/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

अ०/3
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	